न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 122/2018 (2018/00319) दर्ज दिनांक 100.09.2018
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. शत्रुधनसिंह आत्मज गिरधारीसिंह राजपुत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. किशनसिंह आत्मज गिरधारीसिंह राजपुत निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर (भीलवाड़ा)।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री एस0के0जैन
अधिवक्ता विपक्षी: श्री संतोष कुमार पारीक
पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक 14.08.2020

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 25 में वर्णित आराजी संख्या 196 रकबा 0.07 हे0 , 208 रकबा 0.40 हे0, 402 रकबा 0.88 हे0, 403 रकबा 0. 65, 404 रकबा 0.65 हे0, 405 रकबा 0.67 हे0, 406 रकबा 0.18 हे0, 407 रकबा 0.68 हे0, 408 रकबा 0.60 हे0 कुल किता 09 कुल रकबा 4.78 हे0 भूमि स्थित है। जिसके लिए जमाबंदी संवत् 2061 से 2067 प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थी के पिता गिरधारीसिंह आत्मज शिवसिंह राजपुत निवासी कोशीथल ने अपने जीवन काल में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17.04.2000 को प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित करते हुए उक्त वर्णित आराजियात को प्रार्थी के पक्ष में उनके निधन उपरान्त राजस्व अभिलेख दर्ज कराने बाबत् अधिकार प्रदत्त करते हुए वसीयतनामा निष्पादित किया।

यह कि प्रार्थी के पिता गिरधारीसिंह आत्मज शिवसिंह राजपुत के निधन के पश्चात् उक्त वर्णित आराजियात को राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से विरासत के आधार पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक व इनकी माता पारसकंवर व बहिनों कमशः मेहन्द्रकंवर, कैलाशकंवर, गोपालकंवर के नाम दर्ज अभिलेख कर दी गई जबकि रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.04.2000 के आधार पर उक्त वर्णित आराजियात कानुनन प्रार्थी के नाम तन्हा दर्ज की जानी चाहित थी।

यह कि प्रार्थी ने उक्त वर्णित आराजियात को गलत रूप से विपक्षी संख्या एक व माता पारसकंवर तथा बहिनों के नाम दर्ज [illegible] पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज अभिलेख कराने बावत् कहा तो प्रार्थी की माता पारस[illegible] [illegible]हिनों द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया लेकिन विपक्षी [illegible] आराजियात जो वर्तमान खाता संख्या 11 संवत् 2073 से 2076 की [illegible] इंद्राज आने 1/6 [illegible] हिस्से को प्रार्थी के पक्ष में दर्ज अभिलेख कराने बावत इन्कार क[illegible]या जबकि विपक्षी संख[illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

इस बावत पूर्ण ज्ञान है कि उक्त वर्णित आराजियात में उसके नाम दर्ज अभिलेख 1/6 हक व हिस्सा गलत इन्द्राज हो गया है फिर भी वह मानने को तैयार नहीं है।

जिससे उक्त वर्णित आराजियात में गलत रूप से इन्द्राज विपक्षी संख्या एक के 1/6 हक व हिस्से को वर्तमान खाता संख्या 11 में से विलोपित करते हुए उक्त हक व हिस्से की खातेदारी की घोषणा बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण सादर फरमाई जाना आवश्यक है।

विपक्षी संख्या एक ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजियात में निहित अपने 1/6 हक व हिस्से को वह किसी भी किमत पर प्रार्थी के नाम दर्ज अभिलेख नहीं करवायेगा साथ ही यह भी कहा कि वह अपने नाम दर्ज अभिलेख हक व हिस्से को किसी भी समय रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित करने का अधिकार रखता है जिससे वह किसी भी समय उक्त कृत्य को अंजाम दे सकता है। जिसका उसको कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी वह उक्त कृत्य को करने पर आमादा है। जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

यह कि उपरोक्त कारणों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा जंहा तक अपूरणीय क्षति के बिन्दु का प्रश्न है वंहा प्रार्थी का यह निवेदन है कि वाद वर्णित आराजियात रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17.04.2000 के आधार पर प्रार्थी के नाम तन्हा रूप से दर्ज अभिलेख होनी चाहिए थी लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विपक्षी संख्या एक के नाम 1/6 हक व हिस्सा गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर दिया, जिससे विपक्षी संख्या एक उसको रहन, बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी यदि विपक्षी संख्या एक उक्त कृत्य को अंजाम देने में सफल होता है तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसका आंकलन , मुल्यांकन में कदापित संभव नहीं है तथा पक्षकारान के मध्य कई तरह के वाद विवाद उत्पन्न हो जावेंगें। जिससे प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 11 संवत् 2073 से 2076 की जमाबंदी में अंकित आराजियात में दर्ज विपक्षी संख्या एक के 1/6 हक व हिस्से को विपक्षी संख्या एक किसी अन्य को रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें करावें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.09.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब नहीं देना चाहते है अतः जवाबदेही बंद की जाती है। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षी अधिवक्ता ने रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का स्वीकार किये जाने में सहमती जाहिर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
मंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से महरूम हो जायेगा, इसके मुकाबले विपक्षी संख्या एक को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17.04.2000 जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– विर्णित आराजियात विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजियात विपक्षी संख्या एक अन्य को हस्तान्तररित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 11 संवत् 2073 से 2076 की जमाबंदी में अंकित आराजियात में दर्ज विपक्षी संख्या एक के 1/6 हक व हिस्से को को मूलवाद के ताफैसला विपक्षी संख्या एक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 14.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:44:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner